सं०ईं०एक्स०एन०—एफ(10)—18/2016 हिमाचल प्रदेश सरकार आबकारी एवं कराधान विभाग

प्रेषित

र्रसचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला—171004

दिनांकःशिमला-171002

18.12. 2016

विषय:-

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र में रखने बारे नोटिस ।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) को विधान सभा के वर्तमान अधिवेशन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

विधेयक की 120 (तीन अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) संलग्न है । आपसे अनुरोध है कि विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें ।

भवदीय,

(प्रकाश चीधरे) आबकारी एवं कराधान मन्त्री हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन सं0ई०एक्स०एन०─एफ(10)─|8/201**४** दिनांकः शिमला─2 **2016**.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :--

1. प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

2. सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2 को मन्त्रीमण्डल द्वारा (by Circulation) लिए गए निर्णय के संदर्भ में ।

3. आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9

(माला राणा) अवर सचिव (आबकारी एवं कराधान) हिमाचल प्रदेश सरकार दूरभाष:0177—2628929

2016 का विधेयक संख्यांक 25

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 खण्डों का क्रम

खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम।
- 2. धारा 56 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :——

- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित संक्षिप्त नाम। कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
- 2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 56 धारा 56 का संशोधन। की उपधारा (3) में,—
 - (क) खण्ड (झ) के अन्त में शब्द ''और'' के स्थान पर ''या'' शब्द रखा जाएगा।; और
 - (ख) खण्ड (ञ) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :——
 - "(ट) राज्य सरकार और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के साथ सूचना को सांझा करने के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी कथन, विवरणी, लेखे, दस्तावेज, साक्ष्य, शपथ-पत्र या अभिसाक्ष्य की बाबत ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के;

प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी:

परन्तु राज्य सरकार राजस्व हित में राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग के साथ ऐसे किसी कथन, विवरणी, लेखे, दस्तावेज, साक्ष्य, शपथ—पत्र या अभिसाक्ष्य की बाबत ऐसी किन्हीं विशिष्टियों की सूचना का सांझा करना अनुज्ञात कर सकेगी।"।

5

10

15

20

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने समझौता ज्ञापन के माध्यम से संस्थागत डाटा सांझा तन्त्र प्रस्तावित किया है। ऐसा नॉन—इन्द्रूसिव डाटा सांझा तन्त्र, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड और आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश दोनों की एक जैसी कारोबारी हस्तियों की प्रोफाइल को देखने के लिए एक प्रभावी साधन होगा। कई अन्य राज्यों द्वारा पूर्व में इसी तर्ज पर ऐसी पहल की गई है। ऐसे आदान—प्रदान से होने वाले लाभों को भी बताया गया है और यह भी सूचित किया गया है कि इसी तरह के समझौता ज्ञापन दिल्ली, राजस्थान और तिमलनाडू राज्यों द्वारा पहले किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे नॉन—इन्द्रूसिव डाटा सांझा तन्त्र को राज्य और केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के साथ सूचना सांझा करने के लिए अपनाया जाता है तो यह भी सरकार के राजस्व हित में होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी व्यवस्था, संगठनों के लिए अत्याधिक लाभकारी होगी और इससे राजस्व की अधिकाधिक प्राप्ति भी प्रभावी रीति में होगी। इसलिए, समझौता ज्ञापन के माध्यम से ऐसे डाटा सांझा तन्त्र के कार्यान्वयन के आशय से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में सामर्थ्यकारी उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री।

धर्मशाला	:	
तारीख :	,	2016

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

> (प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री।

(डॉ० बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि)।

धर्मशाला :

तारीख: 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के उद्धरण

घारा :

- 56. विवरणियों आदि का गोपनीय होना.—(1) इस अधिनियम के अनुसार किए गए किसी कथन में, दी गई विवरणी या प्रस्तुत किए गए लेखे अथवा दस्तावेज में या किसी दांडिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य के किसी अभिलेख में, अन्तर्विष्ट सभी विशिष्टियां उप—धारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाय, गोपनीय मानी जाएंगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय, यथा पूर्वोक्त के सिवाय, ऐसे किसी कथन, विवरणी, लेखे, दस्तावेज या अभिलेख अथवा उसके किसी भाग को अपने समक्ष पेश करने की या उसके बारे में उसके समक्ष साक्ष्य देने की अपेक्षा राज्य सरकार के किसी अधिकारी से करने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि, उप—धारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाय, हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी उप—धारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्टियों में से किसी को प्रकट करता है, तो वह कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
 - (3) इस धारा की कोई भी बात--
- (क) इस अधिनियम या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी कथन, विवरणी, लेखे, दस्तावेज, साक्ष्य, शपथ—पत्र या अभिसाक्ष्य की बाबत ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के; या
- (ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के प्रशासन से न्यस्त किसी व्यक्ति को ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के; या
 - (ग) जब ऐसा प्रकटीकरण किसी नोटिस या समन की तामील अथवा किसी मांग की वसूली के लिए जब इस अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रिया के विधि पूर्ण नियोजन द्वारा हुआ हो, तो ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के; या
 - (घ) किसी न्यायालय को किसी वाद में, जिसमें राज्य सरकार का आबकारी एवं कराधान विभाग या उक्त विभाग का कोई अधिकारी पक्षकार है और जो इस अधिनियम के

अधीन की किसी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले किसी विषय से सम्बन्धित है की ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के; या

- (ङ) इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित कर की रसीदों या प्रतिदाय की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किसी अधिकारी को ऐसी किन्ही ऐसी विशिष्टियों के; या
- (च) ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के, जहां ऐसी विशिष्टियां सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग के किसी पदधारी के आचरण की किसी जांच में सुसंगत है, लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन आयुक्त द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को अथवा संविधान के अधीन स्थापित लोक सेवा आयोग को जब ऐसी जांच से उत्पन्न किसी विषय के सम्बन्ध में अपनी कृत्यों का प्रयोग किया जा रहा हो; या
- (छ) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी को दी गई विवरणी में या इस अधिनियम के अधीन पारित किसी निर्धारण आदेश में अवधारित दर्शाए गए वार्षिक सकल आवर्त के, जो उस सरकार को इस द्वारा अधिरोपित किसी कर या शुल्क के उद्ग्रहण या वसूली के प्रयोजन के लिए समर्थ बनााने को आवश्यक हो; या
- (ज) ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के, जो किसी आयकर व्यवासायी या किसी अन्य व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करता है के विरुद्ध आचरण के आरोप की किसी जांच में, सुसंगत है; या
- (झ) हिमाचल प्रदेश सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक को ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के, जो किसी वस्तु पर कर के भार की गणना करने में या व्यापार, वस्तु या व्यौहारी का कोई सांख्यिकीय सर्वेक्षण करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो; और
- (ञ) कम्प्यूट्रीकरण द्वारा डाटा तैयार करने के प्रयोजन के लिए ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी :

परन्तु खण्ड (क), (च) और (छ) में उल्लिखित सूचना सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के भारसाधक आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा तभी प्रकट किए जाने के लिए अनुज्ञात की जा सकेगी, जब इस निमित्त किए गए आवेदन की छानबीन के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझें, उसका समाधान हो जाता है कि प्रकटीकरण इस उप—धारा के अधीन अनुज्ञेय है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 25 OF 2016

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

(As Introduced in the Legislative Assembly)

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title.
- 2. Amendment of section 56.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

5

10

15

20

- 1. This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Short title. Tax (Second Amendment) Act, 2016.
- 2. In section 56 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, Amendment of section 56 of section 56
 - (a) in clause (i) at the end, for the word "and" the word "or" shall be substituted.; and
 - (b) after proviso to clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—
 - "(k) of any such particulars in respect of any such statement, return, accounts, document, evidence, affidavit or deposition for the purpose of sharing of information with the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India in pursuance of Memorandum of Understandings executed between the State Government and the Central Board of Excise and Customs:

Provided that the State Government may in revenue interest allow sharing of information of any such particulars in respect of any such statement, return, accounts, document, evidence, affidavit or deposition with any other Department of the State or the Central Government."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India has proposed an institutionalized data sharing mechanism through use of Memorandum of Understandings. Such a non-intrusive data sharing mechanism would be an effective tool to profile business entities common to both the Central Board of Excise and Customs and the Department of Excise and Taxation, Himachal Pradesh. Such initiatives on similar lines have already been taken by some other States. The benefits of such an exchange have also been spelt out and it has also been informed that the States of Delhi, Rajasthan and Tamil Nadu have already entered into similar Memorandum of Understandings. Further, it will also be in the revenue interest of the Government, if such, a non-intrusive data sharing mechanism is also adopted to share information with other departments of the State and the Central Government. There is no doubt that such arrangement would be highly beneficial to the organizations and will lead to higher and effective realization of revenue. Thus, in order to implement such data sharing mechanism through use of Memorandum of Understandings, it has been decided to make enabling provisions in the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:		
The,	2016.	

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted is to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-Charge.

(DR. BALDEV SINGH)

Pr. Secretary (Law).

DHARAMSHALA:

The, 2016.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT NO. 12 OF 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

SECTION:

- 56. Returns etc. to be confidential.—(1) all particulars contained in any statement made, return furnished or accounts or documents produced in accordance with this Act, or in any record of evidence given in the course of any proceedings under this Act other than proceedings before a criminal court, shall, save as provided in sub-section (3), be treated as confidential and notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872, (1 of 1872) no court shall, save as aforesaid, be entitled to require any officer, of the State Government to produce before it any such statement, return, accounts, document or record or any part thereof, or to give evidence before it in respect thereof.
- (2) If, save as provided in sub-section (3), any officer of the State Government discloses any of the particulars referred to in sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, and shall also be liable to fine.
 - (3) Nothing contained in this section shall apply to the disclosure—
 - (a) of any such particulars in respect of any such statement, return, accounts, document, evidence, affidavit or deposition for the purpose of any prosecution under this Act or the Indian Penal Code, 1860; or
 - (b) of any such particulars to any person entrusted with the administration of this Act for the purposes of carrying out the objects of this Act; or
 - (c) of any such particulars when such disclosure is occasioned by the lawful employment under this Act of any process for the service of any notice or summons or the recovery of any demand; or
 - (d) of any such particulars to a civil court in any suit to which the State Government in the Excise and Taxation Department or any officer of the said Department is a party and which relates to any matter arising out of any proceeding under this Act; or
 - (e) of any such particulars to any officer appointed to audit receipts or refunds of the tax imposed by this Act; or

- (f) of any such particulars where such particulars are relevant to any enquiry into the conduct of an official of the Excise and Taxation Department of the State Government to any person or persons appointed by the Commissioner under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850, or to any officer otherwise appointed to hold such inquiry or to a Public Service Commission established under the Constitution when exercising its functions in relation to any matter arising out of such inquiry; or
- (g) of the annual gross turnover, shown in any return furnished or determined in any assessment order passed under this Act, to any officer of the Central or any State Government, as may be necessary for the purpose of enabling that Government to levy or realise any tax or duty imposed by it; or
- (h) of any such particulars which are relevant to any inquiry into the charge of misconduct, against an income- tax practitioner or other person who represents any assessee before any Authority in any proceeding under this Act; or
- of any such particulars to the Director of Economics and Statistics Department of the State Government as may be necessary for enabling him to work out the incidence of tax on any commodity or for carrying out any statistical survey of trade, commodity or dealer; and
- (j) of any such particulars for the purpose of preparing data by computerization:

Provided that the information mentioned in clauses (a), (f) and (g) may be permitted to be disclosed by the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer, In-charge of the District only when he is satisfied, after scrutiny of the request made in this behalf and after such enquiries as he considers necessary, that the disclosure is admissible under this subsection.